

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

सोमवार, तिथि-

02 मार्च, 2020 (ई०)

[द्वितीय(बजट) सत्र]

12 फाल्गुन, 1941 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- मुख्यमंत्री प्रश्नकाल।
- (04)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (05)- सर्वश्री किशुन कुमार दास, कुशवाहा शशि भूषण मेहता एवं श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- सर्वश्री सुदिव्य कुमार, डॉ० सरफराज अहमद एवं श्री दीपक बिरुवा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (09)- श्री प्रदीप यादव एवं श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (10)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (11)- मंत्री प्रभारी (प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) श्री चाम्पाई सोरेन, द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2018-2019 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (12)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (13)- याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

-: वित्तीय-कार्य :-

- (14)- मंत्री प्रभारी योजना-सह-वित्त द्वारा झारखण्ड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति का सदन पटल पर उपस्थापन।
- (15)- मंत्री प्रभारी योजना-सह-वित्त प्रस्ताव करेंगे कि झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन-2019-20 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात् जनता में बिद्वी के लिए प्राप्य हो।
- (16)- वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{ कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है }

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक 2020

- (17)- मंत्री प्रभारी योजना-सह-वित्त श्री रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (18)- मंत्री प्रभारी योजना-सह-वित्त श्री रामेश्वर उरौंव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।


- (19)- मंत्री प्रभारी योजना-सह-वित्त श्री रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020" पर विचार हो।
- (20)- मंत्री प्रभारी योजना-सह-वित्त श्री रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020" स्वीकृत हो।
- (21)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-02/2020-.....615...../वि०स०, राँची, दिनांक- 01/03/2020

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/लोकसभा/राज्यसभा नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(घण्टे लाल डूडू)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-02/2020-.....615...../वि०स०, राँची, दिनांक- 01/03/2020


प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।


ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-02/2020-.....615...../वि०स०, राँची, दिनांक- 01/03/2020

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान सभा के सभी पदाधिकारीगण, वेबसाइट शाखा/ पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

शंकर/-


01.03.20